SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

संविधान दिवस और डॉ. बी. आर. आम्बेडकर

चन्द्र सेन प्रताप सिंह, पी–एचडी, विधि विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
चन्द्र सेन प्रताप सिंह, पी–एचडी
E-mail : pyarechandu@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

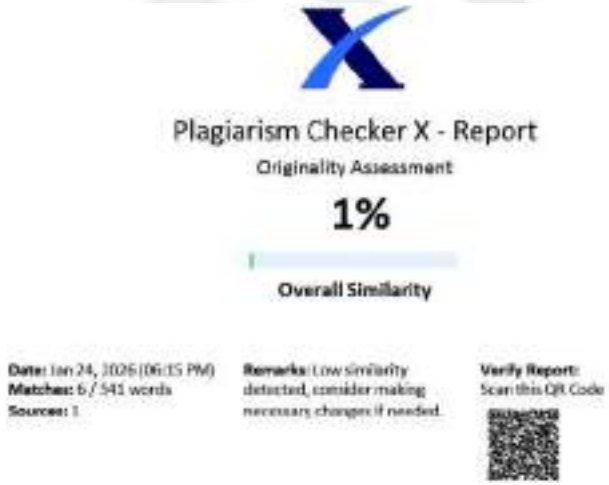

शोध सार

भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. बी. आर. आम्बेडकर की भूमिका एवं 26 नवम्बर, 1949 का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत लेख में संविधान निर्माण में डॉ. आम्बेडकर को शामिल किये जाने के कुछ अनछुए पहलू, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा भारत की आजादी के समय संविधान सभा के गठन की तात्कालिक परिस्थितियों का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था से ग्रसित भारतीय समाज में सामजिक न्याय सुनिश्चित किये जाने के लिए डॉ. आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से अभूतपूर्व प्रयास किये जिनका उल्लेख संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में परिलक्षित होता है।

मुख्य शब्द

संविधान, आम्बेडकर, संविधान सभा, संविधान दिवस, विधि दिवस.

26 नवम्बर, 1949 का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली है। इसी दिवस को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास के उपरांत सम्यक विचार विमर्श द्वारा हमारा संविधान अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित किया गया। संविधान दिवस (विधि दिवस) भारत में हर वर्ष 26 नवम्बर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें भारतीयता की महक है। यह भारत के लोगों द्वारा विभिन्न आकांक्षाओं को पूरा करने के माध्यम के रूप में अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित किया गया है। एक तरफ यह ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संविधान से विशिष्ट है, क्योंकि उनका संविधान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जबकि हमारा संविधान "हम भारत के लोग" द्वारा पारित किया गया। वहीं

दूसरी तरफ यह तमाम एशियाई देशों के संविधानों से भिन्न है क्योंकि उनके प्रारूप लेखन में विदेशी विद्वान/ विद्वानों की भूमिका थी, जिनमें सर आइवर जेंनिंग्स (Ivor Jennings) का प्रमुख हाथ रहा। भारत के संविधान के प्रारूप लेखन का कार्य एक ऐसी सप्त सदस्यी समिति के द्वारा किया गया, जिसके डॉ. बी. आर. आम्बेडकर प्रेसिडेंट/ चेयरमैन थें।

सन् 2015 से 26 नवम्बर संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके पूर्व सन् 1979 से तत्कालीन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ की पहल पर इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। सन् 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसे संविधान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। इस संकल्प के पीछे दो उद्देश्य थें– प्रथम, देश के लोगों को सांविधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति निष्ठावान बनाया जाये और दूसरा, संविधान निर्माण/ प्रारूप लेखन में डॉ. बी. आर. आम्बेडकर के अप्रतिम योगदान को स्मरण कर उन्हें उचित सम्मान प्रदान किया जाये।

हमारा संविधान इस देश की मूल/ सर्वोच्च विधि है। केल्सन् (Kelsen) के शब्दों में यह मूलमानक (Grundnorm) है। सारी विधियां इसके अंतर्गत निर्मित होती हैं और विधि मान्यता प्राप्त करती हैं। सरकार के सारे अंग– विधायिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सभी संविधान की उपज हैं और उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं। उनकी विधि मान्यताएं और सीमाएं संविधान निर्धारित करता है। संविधान का उल्लंघन करने पर उनके कृत्य अकृत्य (void) बन जाते हैं।

जब हम संविधान की बात सोचते हैं तो एक सदस्य का नाम बरबस जुबान पर आ जाता है और वह नाम है – डॉ. बी. आर. आम्बेडकर, संविधान से उनका नाम अन्योन्याश्रित रूप से जुड़ा है। संविधान (विधि) दिवस, संविधान और डॉ. बी. आर. आम्बेडकर अत्यंत प्रेरणास्पद एवं अविस्मर्णीय है। डॉ. बी. आर. आम्बेडकर की संविधान निर्माण में भूमिका, सकारात्मक सोच, जटिल से जटिल समस्यायों के संतोषजनक उत्तर, उनकी समन्वयशील ग्राहयता तो सराहनीय है ही उनके सम्बन्ध में कुछ अछूते प्रसंग हैं जो सही मायने में उनकी भूमिका एवं महत्व में चार चाँद लगाते हैं। उन बिन्दुओं को उजागर कर सही मूल्यांकन में योगदान करने का प्रयास निम्न बिन्दुवार किया गया हैः

1. डॉ. आम्बेडकर की कैबिनेट एवं संविधान सभा की सदस्यता और प्रारूप समिति के चेयरमैन का चयन

डॉ. आम्बेडकर का चयन भारतीय समन्वयवादी, उदारचित्त एवं गुणग्राही प्रवृत्ति का अनूठा परिचायक है। डॉ. आम्बेडकर बंगाल से मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने जो बँटवारे के साथ पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) के निर्माण के साथ समाप्त हो गयी। उनकी प्रतिभा, विद्वता और प्रखर बुद्धि तथा कार्यदक्षता का उपयोग करने हेतु उन्हें गांधीजी के सुझाव पर पटेल जी के सौजन्य से बॉम्बे (Bombay) से सदस्य बनाया गया।[1] जब प्रारूप लेखन का प्रश्न उठा तो चेयरमैन (Chairman) कौन हो?, यह बहुत बड़ा प्रश्न था। पंडित नेहरु और श्रीमती सरोजिनी नायडू, महात्मा गाँधी के पास इस सुझाव के साथ गए की सर Ivor Jennings ने तमाम एशियाई देशों के संविधानों का प्रारूप लेखन किया है, क्यों न उन्हें ही प्रारूप लेखन हेतु आमंत्रित किया जाये? महात्मा गाँधी शांत रहे और कुछ मिनट बाद बोले, "तुम लोगों के बीच एक बहुत पढ़ा–लिखा, विभिन्न देशों के संविधानों का मर्मज्ञ एवं जागरूक व्यक्ति है, क्यों न डॉ. आम्बेडकर को अपनाओ?" उनका इतना कहना पर्याप्त था और सरदार पटेल के सौजन्य से डॉ. बी. आर. आम्बेडकर को प्रारूप समिति के चेयरमैन का दायित्व वहन करने हेतु राजी किया गया।[2]

डॉ. आम्बेडकर को नेहरु कैबिनेट का मंत्री बनाया जाना भी कम दिलचस्प नहीं था। नेहरु जी कैबिनेट सदस्यों का नाम लेकर गाँधी जी के पास गए। गाँधी जी ने कहा कि विधि का मर्मज्ञ डॉ. आम्बेडकर विधि मंत्री हेतु उचित होगा। नेहरु जी ने प्रतिवाद किया कि वह तो आपको और कांग्रेस को असम्मानसूचक शब्दों से संबोधित करते हैं, उनके साथ मैं कैसे काम कर पाऊंगा? बतौर राजाजी पेपर्स महात्मा गाँधी ने

बड़ी मार्मिक बात कही "स्वतंत्रता भारत को आ रही है, जवाहर को नहीं" और डॉ. आम्बेडकर कैबिनेट मंत्री, विधि, न्याय एवं विधायी बनाये गए।

ये उपरोक्त तीनों कार्य गाँधी जी के सौजन्य से हुए, पर डॉ. आम्बेडकर को पता नहीं चला तभी तो उन्होंने संविधान सभा में इन घटनाओं पर आश्चर्य व्यक्त किया कि "ये सब कैसे हुआ?, मुझे घोर आश्चर्य है।" उनकी कैबिनेट में नियुक्ति, संविधान सभा की सदस्यता एवं चेयरमैन, प्रारूप समिति का चयन, उनकी विद्वत्ता का सही मूल्यांकन कर, राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु किया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया।

2. अप्रतिम प्रतिभा द्वारा संविधान सभा सदस्यों का संतोषजनक उत्तर देकर समन्वयकारी निष्कर्ष निकालकर लिपिबद्ध करना

बतौर ऑस्टिन "संविधान सभा भारत का लघु ब्रह्माण्ड (Microcosm of the Nation) है।"[3] सभी वर्गों एवं विभिन्न तथा परस्पर विरोधी मतों के सदस्यों का समावेश था। अतः सभी का प्रश्न सुनना, उत्तर देकर संतुष्ट करना और सर्व ग्राह्य निष्कर्ष निकालना, डॉ. आम्बेडकर के बस की ही बात थी। बतौर ऑस्टिन सारे निर्णय एकमत अथवा लगभग एक मत लिए गए। संविधान सभा के निर्णयों की खासियत थी कि मत विभाजन के बाद भी बहुमत का निर्णय, सर्वमान्य रूप से स्वीकार होता था।

3. समन्वयवादी एवं सामंजस्य पूर्ण निर्णय के प्रणेता

डॉ. बी. आर. आम्बेडकर सीढ़ीदार वर्ण व्यवस्था के उत्पीड़न के भुक्तभोगी थें। उनके प्रखर विचार थें, परन्तु राष्ट्र हित सर्वोपरि था। उनके शब्दों में "वह प्रथमतः भारतीय थें, मध्यतः भारतीय थें, और अंततः भारतीय थें।" वर्ण व्यवस्था ग्रसित, विभाजित समाज में कैसे सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाए?, उनका समन्वयकारी दृष्टिकोण था। अमेरिकन अनुभव श्वेत–अश्वेत विभेद एवं सकारात्मक कार्य, की तरह भारत को उन्होंने सर्वसम्मति से वह संविधान दिया जो विभेदहीनता हेतु जाति, धर्म, लिंग विहीन अनुच्छेद 15(1)[4], अनुच्छेद 15(2)[5], अनुच्छेद 16(2)[6], अनुच्छेद 23(2)[7], अनुच्छेद 29(2)[8] और अनुच्छेद (325)[9], समाज स्थापित करने के साथ–साथ सामाजिक न्याय हेतु दबे, कुचले, पिछड़ों के उन्नयन हेतु जाति, लिंग, धर्म जागरूक (conscious) प्रावधानों अनुच्छेद 16(4)[10], अनुच्छेद 330[11], अनुच्छेद 332[12], अनुच्छेद 334[13] के साथ अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342, के उपबंधों को समाहित कर preferential treatment को स्वीकार किया। डॉ. आम्बेडकर आरक्षण को शाश्वत नहीं बनाना चाहते थें, अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में उन्होंने 10 वर्ष की सीमा संसदीय एवं विधायिका सम्बंधित आरक्षण की निर्धारित की। सेवाओं में कोई सीमा न रखकर राज्य के विवेक पर छोड़ दिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 स्वयं इस बात का परिचायक है कि डॉ. आम्बेडकर मेरिट एवं दक्षता का ध्यान रखना अपेक्षित माने। अनुच्छेद 335 के अनुसार– "संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन् की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा, परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में, संघ या किसी राज्य के कायर्कलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में या पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए, किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"[14]

संसदीय प्रणाली की स्वीकार्यता दायित्व की स्थायित्व पर अपनाई गयी। संघीय ढाँचे के साथ सशक्त केंद्र की स्थापना हुयी।

डॉ. आंबेडकर ने मूल अधिकारों की अहमियत को माना और संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुनिश्चित करने वाले अनुच्छेद 32[15] के बारे में टिपण्णी की:

"If I was asked to name any particular Article in this Constitution as the most important- an 'Article' without which this Constitution would be a nullity- I could not refer to any other Article except this one- It is the very soul of the Constitution and the very heart of it."[16]

जहाँ मूल अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाते हुए इसके महत्व को स्वीकार किया वहीं उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद (rope of sand, moral principles[17]) राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अप्रवर्तनीय स्वीकार करते हुए कहा "इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवतर्नीय नहीं होंगे किन्तु फिर भी इनमें अधिकथित तत्त्व देश के शासन् में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य होगा"[18] और जनकल्याण तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति की राज्य की प्रतिबद्धता को इंगित किया।[19] अब प्रवर्तनीय मूल अधिकार एवं अप्रवर्तनीय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच की विभाजन रेखा लुप्तप्राय है। सन् 1966 में Granville Austin ने Indian Constitution- Cornerstone of A Nation[20] में भाग 3 और भाग 4 दोनों को भारतीय संविधान का अंतःकरण (conscience) घोषित किया और Minerva Mills vs Union of India[21] में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समान मानते हुए दोनों को लागू करने एवं समन्वय की बात की।

4. दृढ़ संकल्पी एवं राष्ट्र हित की सर्वोपरिता

शायद यह बहुत प्रचलित बात नहीं है कि डॉ. आम्बेडकर पूरे संविधान– उद्देशिका और 395 अनुच्छेदों के लेखक/ प्रारूपकार थें तथा उनपर प्रश्नों का जवाब दिए और निष्कर्ष रूप प्रारूप लेखन किये।

परन्तु संविधान का एक अनुच्छेद जो विभिन्न राज्यों के बीच विभेदकारी था, उसकी न तो उन्होंने प्रारूप रचना की और न ही विचार विमर्श में सम्मिलित हुए। वह अनुच्छेद था अनुच्छेद 370[22] जो जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। अब वह समाप्त कर दिया गया है, परन्तु वह विभेदकारी था और डॉ. आम्बेडकर ने किसी तरह उससे सम्बद्ध होने से इनकार कर दिया था। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने उसका प्रारूप लेखन किया और बहस में जवाब दिया।

5. अप्रतिम जागरूक प्रतिबद्धता

श्री टी. टी. कृष्णामचारी (स्वयं एक सदस्य, संविधान सभा) ने स्पष्ट किया कि सात में से कोई सदस्य शरीक ही नहीं हुआ, कोई विदेश गया था, कोई बीमार था, अकेले डॉ. आम्बेडकर ने सचिव के साथ बैठकर दिन–रात एक कर प्रारूप लेखन का कार्य संपन्न किया। स्वयं संविधान सभा के प्रेसिडेंट, डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने डॉ. आम्बेडकर की सराहना करते हुए कहा था कि "मैं यहाँ अध्यक्ष कुर्सी पर बैठे देख रहा था कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद अकेले डॉ. आंबेडकर ने अपने अथक परिश्रम से प्रारूप लेखन का कार्य पूरा किया।" उन्होंने सगर्व कहा था कि हमें गर्व है कि "हमने सही समय पर, सही कार्य हेतु, सही व्यक्ति का चयन किया।"

यह डॉ. आंबेडकर की कार्य के प्रति प्रतिबद्धता ही थी कि उन्होंने अपने गिरते स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए संविधान प्रारूप लेखन का कार्य पूरा किया।

6. संविधान के प्रति अत्यंत लगाव एवं उसे उद्देश्यपूर्ति के माध्यम में सफलता की छटपटाहट

अंतिम दिन संविधान पूरा होने पर चेयरमैन, प्रारूप समिति डॉ. आंबेडकर एवं प्रेसिडेंट, संविधान सभा डॉ. राजेंद्र प्रसाद दोनों ने यह मत व्यक्त किया कि संविधान बहुत अच्छा बना है, परन्तु इसकी सफलता या विफलता उन लोगों पर आधारित होगी जिसके हाथों में उसे लागू करने की जिम्मेदारी होगी। निष्कर्षतः यदि संविधान बुरा हो, और उसे लागू करने वाले अच्छे हों तो वह अच्छा परिणाम देगा, परन्तु यदि संविधान बहुत अच्छा हो और उसे लागू करने वाले अच्छे लोग न हो तो वह बुरा बन जायेगा।

7. डॉ. आंबेडकर की भारतीय प्रतिबद्धता एवं सामाजिक एकता की मिसाल

डॉ. आम्बेडकर भारतीयता की भावना के प्रतीक थें। उन्होंने जो सामाजिक विघटनकारी विभेद का विरोध किया था, वह भी समाज में दलितों को न्याय दिलाने एवं मुख्य धारा में लाने हेतु था। अनुच्छेद 17[23] अस्पृश्यता को समाप्त करता है, पर क्या हुआ? संविधान के माध्यम से महात्मा गाँधी का हृदय परिवर्तन

एवं डॉ. आंबेडकर का संविधान एवं विधि के माध्यम से समरसता का स्वप्न, स्वप्न ही रह गया। डॉ. आंबेडकर बौद्ध बनकर हिन्दू समाज के अंग ही रह गए। उन्होंने रेल का डिब्बा बदला, रेल नहीं।

आज हम कैसे उनके त्याग, बलिदान, संविधान निर्माण के माध्यम से सामाजिक समरसता को बढ़ाकर उन्हें सही रूप से याद करें, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इस दिशा में प्रोफेसर उपेन्द्र बक्सी का 27.11.2015 का इंडियन एक्सप्रेस में छपा लेख "A Day After the Constitution Day" सही दिशा निर्देश दे सकता है जिसमें उन्होंने कहा है कि "आज जैसे डॉ. आंबेडकर को राजनीतिक चश्मे से याद किया जा रहा है, उसे त्याग कर उनके सही भावना का सम्मान कर उनके सुझाये राह का अनुसरण/ व्यवहार कर ही हम उन्हें सही रूप में याद कर सकते हैं।"

निष्कर्ष

डॉ. बी. आर. आम्बेडकर ने अपनी अप्रतिम प्रतिभा द्वारा संविधान सभा सदस्यों का संतोषजनक उत्तर देते हुये समन्वयकारी निष्कर्ष निकालकर संविधान को लिपिबद्ध करने का कठिन कार्य किया। वे दृढ़ संकल्पी, समन्वयवादी एवं सामंजस्यपूर्ण निर्णय के प्रणेता थें, जिनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि था। सृजन का कार्य अत्यंत कठिन होता है। विनाश का कार्य अत्यंत आसान होता है। अतः संविधान दिवस मनाने के साथ–साथ इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि केवल अच्छा संविधान लिख देने मात्र से कुछ नहीं होगा जबतक कि उसको ईमानदारी से लागू न किया जाये। अच्छी–अच्छी बातें सिर्फ़ किताबों में ही नहीं होनी चाहिए अपितु उसको आचरण में भी आत्मसात करना पड़ेगा तभी अच्छे समाज एवं देश का निर्माण हो पायेगा। ये हर सरकार का दायित्व है कि देश में विधि का शासन् (Rule of Law) हो। देश में सही अर्थों में democracy (लोकतंत्र) हो mobocracy (भीड़तंत्र) नहीं, तभी सही अर्थों में विधि दिवस (संविधान दिवस) की सार्थकता है।

संदर्भ सूची

1. Granville Austin: The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation; Oxford University Press (Twenty-ninth impression 2017), p. 16
2. राजाजी पेपर्स, शब्द का प्रयोग आमतौर पर सी. राजगोपालाचारी (जो राजाजी के नाम से प्रसिद्ध हैं) के ऐतिहासिक दस्तावेजों, व्यक्तिगत पत्राचार और राजनीतिक लेखों के लिए किया जाता है। राजगोपालाचारी एक भारतीय राजनेता और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर–जनरल थे।
3. Granville Austin: The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation; Oxford University Press (Twenty-ninth impression 2017), p. 1.
4. भारत का संविधान; अनुच्छेद 15 (1): "राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"
5. भारत का संविधान; अनुच्छेद 15 (2): कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर (क) दुकान, सावर्जनिक भोजनालय, होटल और सावर्जनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश, या (ख) पूर्णतः या भागतः राज्य–निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सावर्जनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।
6. भारत का संविधान; अनुच्छेद 16 (2), राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।

7. भारत का संविधान; अनुच्छेद 23 (2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सावर्जनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
8. भारत का संविधान; अनुच्छेद 29 (2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य–निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।
9. भारत का संविधान; अनुच्छेद 325, धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक–नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक–नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना।
10. भारत का संविधान; अनुच्छेद 16 (4), इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
11. भारत का संविधान; अनुच्छेद 330, लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।
12. भारत का संविधान; अनुच्छेद 332, राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।
13. भारत का संविधान; अनुच्छेद 334, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात् न रहना,। ख्संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 2 द्वारा (25–1–2020 से) से प्रतिस्थापित।
14. संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 2 द्वारा (6–9–2000 से) अंतःस्थापित।
15. भारत का संविधान।
16. Constituent Assembly Debates, December 9, 1948, Vol. VII, p. 953.
17. Ralph Waldo Emerson. The wise know that foolish legislation is a rope of sand, which perishes in the twisting; The Complete Works of Ralph Waldo Emerson: Essays, 2d series (edition 1876).
18. भारत का संविधान; अनुच्छेद 37।
19. भारत का संविधान; अनुच्छेद 38।
20. Granville Austin: The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation; Oxford University Press (Twenty-ninth impression 2017), p. 63.
21. 21AIR 1980 SC 1789.
22. भारत का संविधान; अनुच्छेद 370, जम्मू–कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध।
23. भारत का संविधान; अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता" का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

****